की सरकार द्वारा जांच की गई तथा हाल ही में उसका अनुमोदन किया गया। इसे 1 अगस्त, 1990 को असाधारण राजपत्र भाग–ii संख्या 437 में प्रकाशित किया जा चुका है। समाचार पत्रों, विज्ञापनों, एवं प्रैस रिपोर्टों के माध्यम से उपर्युक्त ब्यौरों से जनता को अवगत कराया गया। इस प्रकार यह देखा गया कि दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा तैयार की गई वैचारिक योजना को न तो लागू करने का आशय था और न ही अपेक्षित था परन्तु बृहद योजना के संशोधनों को अंतिम रूप देते समय इस पर विचार किया गया था।

संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

1. इसमें वर्ष 2001 तक 128 लाख जनसंख्या के प्रबंध के लिये विभिन्न शहरी क्रियाकलापों जैसे आवास, परिवहन, रोजगार केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों आदि के विकसित किये जाने वाले शहर एवं क्षेत्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था है।

2. इस योजना में छोटे रिहायशी प्लाटों पर संवृद्धि आवास की संकल्पना को लागू किया गया है। जिससे निम्न आय वर्ग लाभान्वित होंगे।

3. रेल ट्रांजिट सेवाओं सहित एक बहु-रूपात्मक जन परिवहन प्रणाली एवं चार दिशाओं वाले महानगरीय यात्री टर्मिनलों, चार लदान परिसरों तथा पांच अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों का भी प्रस्ताव किया जाता है।

4. पहली बार "मिश्रित भू-उपयोग" और "अनौपचारिक क्षेत्र" की संकल्पना का प्रस्ताव किया गया है।

5. पहाड़ी और नदी के रूप में प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण का संरक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर मनोरंजनात्मक तथा खेल-कूद के लिये बड़े पैमाने पर क्षेत्रों के विकास का इस योजना में प्रस्ताव किया गया है।

6. समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और अधिक बेहतर जीवन कोटि के लिये पर्यावरण तैयार करने के लिये भूमि को संरक्षित करने हेतु स्थान स्तरों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

7. उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिये तथा ग्रामीण औद्योगिक संपदाओं एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिये भी 11 ग्रामीण विकास केन्द्रों की भी इस योजना में पहचान की गई है।

8. योजना में (क) सुव्यवस्थित विकास कोड और (ख) ससक्त प्रबोधन एकक की व्यवस्था की गई है।

(घ) सामूहिक आवास के लिये अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) का यौक्तिकीकरण कर दिया गया है। और 133 नियत किया गया है। इससे पूर्व, सकल रिहायशी सघनता के साथ अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 75 से 175 तक भिन्न-भिन्न था। संशोधित योजना में फर्शी क्षेत्र अनुपात के यौक्तिकीकरण से भवनों के क्षेत्र में कमी करने में आवश्यक रूप से बल नहीं मिलता है।

राजस्थान के सीकर जिले में सलैदीपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

*230. **श्री सन्तोष मोहनोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सीकर जिले में सलैदीपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइराइटस, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड के

अधीन किये जाने के लिये हाल ही में स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को स्थापित करने के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) इस कारखाने को कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of Consumer Protection Committees in States

*231. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up Consumer Protection Committee in every State;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what would be the scope and functions of the Committee?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) to (c) Under the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 the State Governments/UT Administrations are responsible for setting up of the State level Consumer Protection Councils, Consumer Disputes Redressal Commission (State Commission) and Consumer Disputes Redressal Forum (District Forum). The Councils are advisory in nature and their object is to promote and protect the rights of the consumers. The State Commission and District Forums are quasi-judicial bodies set up for providing simple, inexpensive and speedy redressal to consumer grievances in the field of defective goods, deficient services and unfair trade practices etc.

Progress of railway network in West Bengal

*232. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the progress of railway network during the VII Five Year Plan period was much retarded in West Bengal;

(b) if so, whether Government propose to lay out new lines during the VIII Five Year Plan period in that state and to speed up the on going railway projects there; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) The progress has been commensurate with the allocation of resources.

(b) and (c) Following new line projects approved in West Bengal would be continued during VIII Five Year Plan:

S. No.	Name of the Project	Km.	Cost (Rs. in crores)
1.	Howrah-Amta/ Champadanga BG line	74	30.43
2.	Eklakhi-Balurghat New BG line	91	47 18
3.	Tamluk-Digha new BG line	87	73.71
4.	Lakshmikantapur-Namkhana new BG line	47	41 13

The progress will depend on availability of resources.

National Commission for Rural Labour

*233. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to make the National Commission for Rural Labour a permanent body;